संख्या-28/2015/1312/94 स्टा0नि0-2-2015-700(01)/15

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त सी0सी0आर0ए0,
   राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश।

2. समस्त मण्डलायुक्त
   उत्तर प्रदेश।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 19 नवम्बर, 2015

विषय:- **स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना**

महोदय,

आप अवगत हैं कि स्टाम्प कमी के वादों के पुनरीक्षण बहु धा मण्डलायुक्त/सी0 सी0आर0ए0 स्तर पर एवं अपीलें सी0सी0आर0ए0 स्तर पर प्रस्तुत होती हैं। शासनादेश संख्या-24/2015/1063/94/स्टा0नि0-2015-700(01)/2015, दिनांक 04 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रदेश में लम्बित स्टाम्प वादों के त्वरित गति से निस्तारण हेतु उनमें निहित स्टाम्प कमी की धनराशि को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने के लिए तथा जन-सामान्य को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से समाधान योजना प्रारम्भ की गयी है।

2. स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना के प्रस्तर-3(1) में सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों से इस योजना के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षा की गयी है, किन्तु फिर भी कतिपय स्तरों से मण्डलायुक्त न्यायालयों एवं सी0सी0आर0ए0 न्यायालयों में लम्बित पुनरीक्षण एवं अपील के वादों के संबंध में इस योजना के प्रभावी होने के संबंध में पृच्छा की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस योजना के अन्तर्गत मण्डलायुक्त न्यायालयों में लम्बित पुनरीक्षण एवं सी0सी0आर0ए0 न्यायालय में लम्बित पुनरीक्षण एवं अपीलों के प्रकरण भी इसी योजना के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से निस्तारित किये जायेंगे।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार</u>

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद् को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संलग्न शासनादेश संख्या-24/2015/1063/94-स्टा०नि०-2015-700(01)/2015 दिनांक 04-11-2015 को समस्त मा० सदस्य, राजस्व परिषद् के मध्य परिचालित कराने का कष्ट करें।
2. महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।